उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्याः 720 –कार्य/चौदह–पाकालि/2011–23–के/2008 दिनांकः 07/06/2011

कार्यालय –ज्ञाप

एतद्द्वारा, कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–940–कार्य–चौदह/पाकालि/2009–23के/2008, दिनांक 27.08.2009 के अनुक्रम में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली,ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया/प्रणाली को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, समस्त वितरण निगम लि0 एवं उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में लागू किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(1) ई–टेण्डरिग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं वेब साइट के माध्यम से चरण बद्ध तरीके से की जानी है:–

- (i) Tender creation
- (ii) Tender publication
- (iii) Tender submission
- (iv) Tender opening
- (v) Tender Evaluation
- (vi) Award of contract
- (vii) Payments

1.1 प्रथम चरण में प्रयोगात्मक रूप से निविदा जमा करने तक की कार्यवाही की जाय।

1.2 इस सम्बन्ध में उत्पन्न कठिनाई के दृष्टिगत सुधार कर, अगली निविदाओं में निविदा खोलने तक की कार्यवाही की जाय।

1.3 इस सम्बन्ध में उत्पन्न कठिनाईयों के दृष्टिगत सुधार कर अगले चरण में निविदा के मूल्यांकन, Award of contract एवं भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाय। ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया सुचारू रूप से क्रियान्वित हो जाने के उपरान्त एक करोड रूपये से अधिक के कार्यो की ई–टेण्डरिग की प्रक्रिया आरम्भ की जाय।

(2) ई–टेण्डरिंग की प्रक्रिया, प्रथम चरण में एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की सामग्री की आपूर्ति हेतु की जाय। प्रयोगात्मक रूप में सर्वप्रथम किसी एक सामग्री की निविदा पर यह कार्यवाही की जाय।

(3) प्रत्येक पारेषण/वितरण निगम के मुख्यालय पर ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु सामग्री क्रय करने वाली/कार्य करने वाली इकाई के अन्तर्गत, ई–प्रोक्योरमेन्ट सेल का गठन किया जायेगा तथा इकाई प्रमुख द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। पारेषण/वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्गत, नोडल अधिकारी आदेशों की एक प्रतिलिपि एन0आई0सी0 (National Informatics Centre) को नोडल अधिकारी के Enrollment हेतु प्रेषित की जायेगी।

(4) ई–प्रोक्योरमेन्ट का उपयोग करने हेतु केवल एक बार कस्टमाइजेशन शुल्क एवं प्रति टेण्डर शुल्क तथा अनुमन्य सेवा कर शासन द्वारा निर्धारित दर पर, सम्बन्धित पारेषण/वितरण निगम द्वारा देय होगा।

(5) ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली प्रारम्भ करने हेतु टेण्डरिंग कार्य प्रक्रिया से सम्बन्धित अधिकारियों/टेण्डर समिति के सदस्यों को, कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज (CCA) भारत सरकार द्वारा नियुक्त सर्टिफाइंग एजेन्सी (CA) से निर्धारित शुल्क जमा कराकर डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट (DSC) प्राप्त करना होगा (वर्तमान दर रू0 1500/– प्रति व्यक्ति अथवा यथा संशोधित) डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट प्राप्त करने के लिए अधिकारी, नोडल अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे।

(6) ई–टेण्डरिंग में सम्मिलित होने के लिए विडर्स/टेण्डरर को भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट (DSC) प्राप्त करना होगा जिसे वे कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथारिटीज (CCA) भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी (CA) से प्राप्त कर सकते हैं।

(7) ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु सभी सम्बन्धित टेण्डर अधिकारियों एवं टेण्डर समिति सदस्यों को डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त तथा निविदा प्रकाशन/अपलोडिंग से पूर्व इलैक्ट्रानिक प्रणाली से ई–टेण्डर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। उसके पश्चात ही वह ई–टेण्डर पोर्टल पर निविदा कार्य करने हेतु अधिकृत हो सकेंगे। इस कार्य में मै0 यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन, लखनऊ से भी सहयोग/मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

(8) सभी निविदादाताओं को डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त तथा निविदा प्रस्तुति करने से पूर्व आई0डी0 एवं पासवर्ड इत्यादि उपयोग करने से पहले, इलैक्ट्रानिक प्रणाली से ई–टेण्डर पोर्टल पर अपना पंजीकरण (Registration) करवाना आवश्यक होगा। उसके पश्चात ही वह ई–टेण्डर पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत होगा। इसके लिए टेण्डरर/विडर्स/कान्ट्रैक्टर्स द्वारा मै0 यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन, लखनऊ में भी निर्धारित शुल्क देकर पंजीयन कराया जा सकता है।

(9) ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोंक्योरमेन्ट प्रणाली के अन्तर्गत समस्त टेण्डर उ0प्र0 शासन की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड किये जा सकेंगे। इसे पारेषण/वितरण निगम की Official website पर भी इंगित किया जा सकेगा। निविदा सूचना यथा आवश्यक समाचार पत्रों में भी पूर्ववत प्रकाशित करायी जायेगी।

(10) ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु कारपोरेशन के वर्तमान स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर रूल्स तथा सम्बन्धित अन्य नियम वही रहेंगे। ~~सकते हैं~~। ई–टेण्डरिंग सुलभ करने हेतु इलैक्ट्रांनिक व्यवस्था से सम्बन्धित संगत प्राविधानों/निर्देशों का यथा आवश्यक समावेश करते हुए निविदा प्रकाशन/निविदा प्रपत्र सृजित किया जायेगा। जिसे टेण्डरिंग प्रक्रिया/कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। निविदा में मांगी गयी सूचनायें एवं प्रपत्र इस प्रकार सृजित किये जायेंगे कि समस्त सूचनाएं/प्रपत्र, 8 (आठ) एम0बी0 स्पेस में समा सके।

(11) टेण्डर ओपनिंग कमेटी (DSC प्राप्त अधिकारीगण) द्वारा प्राप्त ई–निविदाओं के क्रमशः प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग को, ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर इच्छुक निविदादाताओं की उपस्थितियों में, निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर डिजिटल सिग्नेचर द्वारा इलेक्ट्रानिक्ली खोला (Open) जायेगा। डाउनलोड करके निविदा की समीक्षा/मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया प्रचलित/निर्धारित नियमों के अनुसार रहेगी।

(12) निविदा के प्रथम भाग को डाउनलोड करने एवं अध्ययन के पश्चात, प्रथम भाग के सफल निविदादाताओं की सूचना ई–टेण्डरिंग साइट पर प्रविष्ट/अपलोड की जायेगी। यह सूचना अपलोड होने के पश्चात ही सफल निविदादाताओं के द्वितीय भाग को View करना एवं डाउनलोड करना सम्भव हो सकेगा।

(13) डाउनलोडेड टेण्डर डाक्यूमेन्ट की समीक्षा करने के पश्चात प्रकरण सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/समिति के समक्ष अनुशंसा आख्या प्रस्तुत की जायेगी तथा समिति के निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित नियमों/प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

(14) अनुमोदित आपूर्तिकर्ता/निविदादाता/कान्ट्रेक्टर को LOA (Letter of award/acceptance) ई–टेण्डर पोर्टल पर भी अपलोड/प्रकाशित किया जायेगा।

(15) सम्बन्धित पारेषण/वितरण निगम द्वारा ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली के क्रियान्वयन की सूचना का पारेषण/वितरण निगम से सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं/ निविदादाताओं/कान्ट्रैक्टर्स के मध्य इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, सूचना पटल, समाचार पत्र आदि के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जायेगा। आपूर्तिकर्ताओं/निविदादाताओं/कान्ट्रैक्टर्स को इस हेतु प्रोत्साहित भी किया जायेगा कि वह आवश्यक पंजीयन शुल्क देकर अपना पंजीयन कराये तथा डिजिटल सिग्नेचर भी प्राप्त करें।

(16) ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया/ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली को पावर कारपोरेशन/पारेषण/वितरण निगम में लागू करने हेतु, तीन माह का समय दिया जाता है, इस अन्तराल में समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कर, ई–टेण्डरिग/ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली को लागू कर दिया जाए।

(17) ई–टेण्डरिग/ई–प्रोक्योरमेन्ट के कार्यान्वयन की समीक्षा समय समय पर सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जाएगी तथा यथा आवश्यक ई–टेण्डरिग/ई–प्रोक्योरमेन्ट को सुदृढ़ करेगे।

<u>अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक</u>

<u>संख्या : 720-(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2011 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
3. समस्त निदेशकगण,(का0प्र0एवंप्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (परियोजना),उ0प्र0पा0ट्रां0 का0 लि0 ,शक्ति भवन ,लखनऊ।
5. संयुक्त सचिव एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के विशेष सहायक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. सलाहकार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. निजी सचिव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. अपर सचिव–I/ II/ III/अराजपत्रित उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (आपरेशन) उ0प्र0पा0ट्रां0का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. मुख्य अभियंता(कम्प्यूटराईजेशन), उ0प्र0पा0ट्रां0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य अभियंता(संचार एवं नियंत्रण), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता(वितरण), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0,शक्ति भवन लखनऊ।
14. समस्त मुख्य अभियन्ता, (पारेषण)/अधीक्षण अभियन्ता (पारेषण), उ0प्र0पा0ट्रां0का0 लि0 ,शक्ति भवन लखनऊ।
15. उपमहा प्रबन्धक (लेखा एवं प्रशा0). उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. संबंधित अधिकारी।

आज्ञा से,

8.6.11

(भारत भूषण गोयल)
उप सचिव (कार्य)